

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्री रामलाल पुत्र श्री श्योजी जाति जाट निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

अप्रार्थीगण





किस्म मुकदमा - 212 राज0 काश्तकारी अधि0

नंबर 99/2024

ऑन लाईन नंबर 2024 / .....

वकील प्रार्थीगण श्री ध्रुव सिंह चौधरी

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/06/24	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल, सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 08/06/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़ (अजमेर)                 </p> <p>05/06/24</p> <p>अज्ञात तारीख द्वारा भूल वार में आपत्र कार्य पत्रावली तम्र कर वारिज किए जाने के कारण पत्रावली आज नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील तारीख एवं तारीख द्वारा निवेदन किया की तारीख एवं तारीख के मध्य तामिल हो गया है एवं उक्त आपत्र को आगे पत्रावली में अहरे ही अतः तारीख आपत्र अनर्गल धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955 का एकी रत्न पर वारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के मध्य अज्ञात होकर पत्रावली नंबर के मध्य है।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़ (अजमेर)                 </p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए</p> <p style="text-align: center;">                       रामकर                 </p> <p style="text-align: center;">                       रामकर                 </p>